कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 2143 /11–सी– FP/UP/Irrig/17563/2016 लखनऊ, दिनांकः जनवरी 12 ,2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद–ललितपुर में भौरट बांध निर्माण हेतु 209.807 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25326 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–एफ नं0–8–24/2017–एफ0सी0, दिनाँक–25.09.2017 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक–भा0स0–218/14–2–2017–800(195)/2016, दिनांक–06.10.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी ने अपने पत्रांक–3395/33–1, दिनांक 03.01.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेख की दो मूल प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया एक प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकः–यथोक्त् (सी.डी. सहित)।

भवदीय

(आर0आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– /11–सी– FP/UP/Irrig/17563/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, (के0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), अलीगंज, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में एक प्रति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, ललितपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड–2, ललितपुर।

(आर0आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1674